

मध्यप्रदेश विधान सभा में दिनांक
10 जुलाई, 2014 को पुरःस्थापित हुइ
रूप में.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक १५ सन् २०१४

मध्यप्रदेश स्थानीय प्राधिकरण (निर्वाचन अपराध) संशोधन विधेयक, २०१४

विषय-सूची

खण्ड :

१. संक्षिप्त नाम.
२. वृहत नाम का संशोधन.
३. धारा २ का संशोधन.
४. धारा ३ का स्थापन.
५. धारा ४ का स्थापन.
६. धारा ६क का स्थापन.
७. धारा १० का स्थापन.
८. धारा १४ड और १४च का अंतःस्थापन.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक १५ सन् २०१४

मध्यप्रदेश स्थानीय प्राधिकरण (निर्वाचन अपराध) संशोधन विधेयक, २०१४

मध्यप्रदेश स्थानीय प्राधिकरण (निर्वाचन अपराध) अधिनियम, १९६४ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के पैंसठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश स्थानीय प्राधिकरण (निर्वाचन अपराध) संशोधन अधिनियम, २०१४ है. संक्षिप्त नाम.

२. मध्यप्रदेश स्थानीय प्राधिकरण (निर्वाचन अपराध) अधिनियम, १९६४ (क्रमांक १३ सन् १९६४) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) के वृहत् नाम में, शब्द “नगर पंचायतों” के स्थान पर शब्द “नगर परिषदों” स्थापित किए जाएं. वृहत् नाम का संशोधन.

३. मूल अधिनियम की धारा २ में,—

धारा २ का संशोधन.

(क) खण्ड (१) में,—

(एक) उपखण्ड (क) में शब्द “पार्षद” के स्थान पर, शब्द “महापौर तथा पार्षद” स्थापित किए जाएं;

(दो) उपखण्ड (ख) में, शब्द “नगर पंचायत” के स्थान पर, शब्द “नगर परिषद्” स्थापित किए जाएं और शब्द “पार्षद” के स्थान पर, शब्द “अध्यक्ष तथा पार्षद” स्थापित किए जाएं;

(ख) खण्ड (२), (३) और (४) में, शब्द “नगर पंचायत” के स्थान पर, शब्द “नगर परिषद्” स्थापित किए जाएं.

४. मूल अधिनियम की धारा ३ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात् :—

धारा ३ का स्थापन.

“३. (१) कोई भी व्यक्ति, किसी मतदान क्षेत्र में, उस मतदान क्षेत्र में किसी निर्वाचन के लिए, मतदान की समाप्ति के लिए नियत किए गए समय के साथ समाप्त होने वाले अड़तालीस घंटों की कालावधि के दौरान,—

मतदान की समाप्ति के लिए नियत किए गए समय के साथ समाप्त होने वाली अड़तालीस घंटों की कालावधि के दौरान सार्वजनिक सभाओं आदि का प्रतिषेध.

(क) निर्वाचन के संबंध में कोई सार्वजनिक सभा या जुलूस न बुलाएगा, न आयोजित करेगा, न उसमें उपस्थित होगा न उसमें सम्मिलित होगा और न उसे संबोधित करेगा; या

(ख) चलचित्र, इलेक्ट्रानिक या प्रिंट मीडिया या किसी अन्य साधन से जनता के समक्ष किसी निर्वाचन संबंधी बात का संप्रदर्शन नहीं करेगा; या

(ग) कोई संगीत समारोह या कोई नाट्य अभिनय या किसी मनोरंजन द्वारा या आमोद-प्रमोद के अन्य तरीकों द्वारा मतदाताओं को उसके प्रति आकर्षित करने के प्रयोजन से, आयोजित करके या उसके आयोजन की व्यवस्था करके जनता के समक्ष किसी निर्वाचन संबंधी बात का प्रचार नहीं करेगा.

(२) वह व्यक्ति, जो उपधारा (१) के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो दो हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दण्डनीय होगा.

स्पष्टीकरण.—इस धारा के प्रयोजन के लिए, अभिव्यक्ति “निर्वाचन संबंधी बात” से अभिप्रेत है कोई ऐसी बात जो किसी निर्वाचन के परिणाम पर असर डालने या उसे प्रभावित करने के लिए आशयित या प्रकल्पित है.”

धारा ४ का स्थापन.

५. मूल अधिनियम की धारा ४ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात् :—

निर्वाचन सभाओं में उपद्रव.

“४. (१) जो कोई व्यक्ति, ऐसी सार्वजनिक सभा में, जिसके संबंध में यह धारा लागू है, उस कारोबार के संव्यवहार को निवारित करने के प्रयोजन के लिए जिसके लिए वह सभा बुलाई गई है, विच्छृंखलता से कार्य करेगा या दूसरों को कार्य करने के लिए उद्दीप्त करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो दो हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दण्डनीय होगा.

(२) उपधारा (१) के अधीन दण्डनीय अपराध संज्ञेय होगा.

(३) यह धारा राजनीतिक प्रकृति की किसी ऐसी सार्वजनिक सभा को लागू है जो सदस्य या सदस्यों को निर्वाचित करने के लिए निर्वाचन क्षेत्र से अपेक्षा करने वाली इस अधिनियम के अधीन निकाली गई अधिसूचना की तारीख के और उस तारीख के बीच, जिस तारीख को ऐसा निर्वाचन होता है, उस निर्वाचन क्षेत्र में की गई है.

(४) यदि कोई पुलिस आफिसर, किसी व्यक्ति की बाबत युक्तियुक्त रूप से संदेह करता है कि उसने उपधारा (१) के अधीन अपराध किया है और तो यदि सभा के सभापति द्वारा उससे ऐसा करने की प्रार्थना की जाए तो वह उस व्यक्ति से अपेक्षा कर सकेगा कि वह तुरंत अपना नाम व पता बताए और यदि वह व्यक्ति अपना नाम व पता बताने से इंकार करता है या बताने में असफल रहता है या यदि पुलिस आफिसर उसकी बाबत युक्तियुक्त रूप से संदेह करता है कि उसने मिथ्या नाम या पता दिया है तो पुलिस आफिसर उसे वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकेगा.”

धारा ६क का स्थापन.

६. मूल अधिनियम की धारा ६ के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाए, अर्थात् :—

मतदान करने के लिए प्रक्रिया का अनुपालन करने में असफलता के लिए शास्ति.

“६क यदि कोई निर्वाचक जिसे कोई मतपत्र जारी किया गया है, मतदान करने के लिए विहित प्रक्रिया का अनुपालन करने से इंकार करता है तो उसको जारी किया गया मतपत्र रद्द किया जा सकेगा.”

धारा १० का स्थापन.

७. मूल अधिनियम की धारा १० के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात् :—

मतदान केन्द्र से मतपत्रों का हटाना अपराध होगा.

“१०. (१) जो कोई व्यक्ति निर्वाचन में मतदान केन्द्र से मतपत्र, निर्वाचन दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन अप्राधिकृत रूप से बाहर ले जाएगा या बाहर ले जाने का प्रयत्न करेगा या ऐसे किसी कार्य के करने में जानबूझकर सहायता देगा या उसका दुष्प्रेरण करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो पांच सौ रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दण्डनीय होगा.

(२) यदि मतदान केन्द्र के पीठासीन ऑफिसर के पास यह विश्वास करने का कारण है कि कोई व्यक्ति उपधारा (१) के अधीन दण्डनीय अपराध कर रहा है या कर चुका है, तो ऐसा ऑफिसर ऐसे व्यक्ति द्वारा मतदान केन्द्र छोड़े जाने से पूर्व ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकेगा या ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस आफिसर को निदेश दे सकेगा और ऐसे व्यक्ति की तलाशी ले सकेगा या पुलिस आफिसर द्वारा उसकी तलाशी करवा सकेगा:

परन्तु जब कभी किसी स्त्री की तलाशी कराई जाना आवश्यक हो, तब वह अन्य स्त्री द्वारा शिष्टता का पूरा ध्यान रखते हुए ली जाएगी.

- (३) गिरफ्तार व्यक्ति की तलाशी लेने पर उसके पास मिला कोई मतपत्र, निर्वाचन दस्तावेज और/ या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, सुरक्षित अभिरक्षा में रखे जाने के लिए पीठासीन आफिसर द्वारा पुलिस आफिसर के हवाले कर दिया जाएगा या जब तलाशी पुलिस आफिसर द्वारा ली गई हो, तब उसे ऐसा आफिसर सुरक्षित अभिरक्षा में रखेगा।

(४) उपधारा (१) के अधीन दण्डनीय अपराध संज्ञेय होगा।”

८. मूल अधिनियम की धारा १४घ के पश्चात्, निम्नलिखित धाराएं अंतःस्थापित की जाएं, अर्थात् :—

धारा १४ड और
१४च का अंतःस्थापन.

“१४ड (१) रिटर्निंग आफिसर, पीठासीन आफिसर, और किसी पुलिस आफिसर, से तथा मतदान केन्द्र पर शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति से, जो मतदान केन्द्र पर कर्तव्यारूढ़ है, भिन्न कोई व्यक्ति, मतदान के लिए, मतदान केन्द्र के आसपास आयुध अधिनियम, १९५९ (१९५९ का ५४) में परिभाषित किसी प्रकार के आयुधों से सज्जित होकर नहीं जाएगा।

मतदान केन्द्र में या उसके निकट आयुध लेकर जाने का प्रतिषेध.

(२) यदि कोई व्यक्ति उपधारा (१) के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, तो वह कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, या दोनों से दण्डनीय होगा।

(३) जहां कोई व्यक्ति इस धारा के अधीन किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया जाता है, तो आयुध अधिनियम, १९५९ (१९५९ का ५४) तथा उसके अधीन जारी अधिसूचना के उपबंधों में यथा परिभाषित उसके कब्जे में पाए ऐसे आयुध जो उसके कब्जे में पाए जाएं, अधिहरण के दायी होंगे और ऐसे आयुध के संबंध में दी गई अनुज्ञप्ति उस अधिनियम की धारा १७ के अधीन प्रतिसंहत की गई समझी जाएगी।

(४) उपधारा (२) के अधीन दण्डनीय अपराध संज्ञेय होगा।

१४च (१) मतदान क्षेत्र में किसी निर्वाचन के लिए मतदान समाप्त होने के लिए नियत समय के साथ समाप्त होने वाली अड़तालीस घण्टे की अवधि के दौरान उस मतदान क्षेत्र के भीतर किसी होटल, भोजनालय, पांथशाला, दुकान में अथवा किसी अन्य लोक या प्रायवेट स्थान में कोई भी स्परिटयुक्त, किण्वित या मादक लिकर या वैसी ही प्रकृति का अन्य प्रदार्थ न तो विक्रय किया जाएगा, न दिया जाएगा और न वितरित किया जाएगा।

मतदान के दिन लिकर का न तो विक्रय किया जाना, न दिया जाना और न वितरण किया जाना.

(२) कोई भी व्यक्ति, जो उपधारा (१) के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो दो हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा।

(३) जहां कोई व्यक्ति इस धारा के अधीन किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया जाता है, वहां स्परिटयुक्त किण्वित, या मादक लिकर या वैसी ही प्रकृति का अन्य प्रदार्थ जो उसके कब्जे में पाए जाए, अधिहरण के दायी होंगे और उनका व्ययन ऐसी रीति में किया जाएगा जो विहित की जाए।”

उद्देश्यों और कारणों का कथन

मध्यप्रदेश स्थानीय प्राधिकरण (निर्वाचन अपराध) अधिनियम, १९६४ (क्रमांक १३ सन् १९६४) में कतिपय संशोधन प्रस्तावित हैं। प्रस्तावित संशोधनों की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं:—

(१) मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, १९५६ (क्रमांक २३ सन् १९५६) तथा मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १९६१ (क्रमांक ३७ सन् १९६१) में पार्षदों के निर्वाचन के अलावा किसी नगरपालिक निगम के महापौर तथा किसी

नगरपालिक परिषद् या नगर परिषद् के अध्यक्ष के प्रत्यक्ष निर्वाचन का उपबंध है। विधि के उपबंधों को महापौर तथा अध्यक्ष के निर्वाचनों पर लागू करने के प्रयोजन से मूल अधिनियम के वृहत् नाम तथा धारा २ में आवश्यक संशोधन प्रस्तावित हैं।

(२) मतदान की समाप्ति के एक दिन पूर्व, प्रत्याशी द्वारा किन्हीं भी साधनों से चुनाव प्रचार पर निर्बंधनों के संबंध में मूल अधिनियम के उपबंध स्पष्ट नहीं हैं जिससे कि जटिलाएं उत्पन्न होती हैं। अतएव, विधि के उपबंधों को स्पष्ट बनाने की दृष्टि से मूल अधिनियम की धारा ३ में आवश्यक संशोधन प्रस्तावित है।

(३) नगरपालिकाओं तथा पंचायत राज संस्थाओं के सभी तीन स्तरों के निर्वाचनों में स्पष्टता तथा पारदर्शिता सुनिश्चित करने की दृष्टि से यह प्रस्तावित है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५१ (१९५१ का ४३) के सुसंगत उपबंधों को मूल अधिनियम में सम्मिलित किया जाए।

(४) शब्द “नगर पंचायत” के स्थान पर, शब्द “नगर परिषद्” का स्थापन मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १९६१ (क्रमांक ३७ सन् १९६१) में पूर्व में किए गए संशोधन के परिणामस्वरूप है।

२. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है।

भोपाल :

तारीख ३ जुलाई, सन् २०१४

कैलाश विजयवर्गीय

भारसाधक सदस्य.

प्रत्यायोजित विधि निर्माण के संबंध में ज्ञापन

प्रस्तावित मध्यप्रदेश स्थानीय प्राधिकरण (निर्वाचन अपराध) संशोधन विधेयक, २०१४ के खण्ड-८ द्वारा मूल अधिनियम में अंतःस्थापित की जा रही धारा १४ च के अन्तर्गत अधिहरण की गई स्पिरिटयुक्त किण्वित, या मादक लिकर या वैसी ही प्रकृति के अन्य पदार्थ के व्ययन की रीति विहित किए जाने के सम्बंध में विधायिनी शक्तियां राज्य सरकार को प्रत्यायोजित की जा रही हैं. उक्त प्रत्यायोजन सामान्य स्वरूप का होगा.

भगवानदेव ईसरानी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

उपाबंध

मध्यप्रदेश अधिनियम, १९६४ (क्रमांक १३ सन् १९६४) से उद्धरण

* * * * *

धारा—२ परिभाषाएं

(१) “निर्वाचन” से तात्पर्य—

- (क) किसी नगरपालिक निगम की दशा में, मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, १९५६ (क्रमांक २३ सन् १९५६) के अधीन पार्षद के पद की पूर्ति के निर्वाचन से है;
- (ख) किसी नगरपालिका परिषद् या नगर पंचायत की दशा में, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १९६१ (क्रमांक ३७ सन् १९६१) के अधीन परिषद् के पार्षद के पद की पूर्ति के लिए निर्वाचन से है;
- (ग) * * *

(२) स्थानीय प्राधिकारी से अभिप्रेत है यथास्थिति मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम, अधिनियम, १९५६ (क्रमांक २३ सन् १९५६) के अधीन गठित कोई नगरपालिक निगम, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १९६१ (क्रमांक ३७ सन् १९६१) के अधीन गठित कोई नगरपालिका परिषद् या कोई नगर पंचायत या मध्यप्रदेश पंचायत राज अधिनियम, १९९३ (क्रमांक १ सन् १९९४) के अधीन गठित कोई ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत या जिला पंचायत;

(३) “स्थानीय प्राधिकरण का प्रमुख पदाधिकारी” से तात्पर्य—

- (क) * * *
- (ख) नगरपालिका परिषद् या नगर पंचायत की दशा में मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १९६१ (क्रमांक ३७ सन् १९६१) की धारा ३ की उपधारा (५) में यथा परिभाषित मुख्य नगरपालिका अधिकारी;
- (ग) * * * * *

(४) “निर्वाचन पदाधिकारी” से तात्पर्य—

- (क) * * * * *
- (ख) किसी नगरपालिका परिषद् या नगर पंचायत के पार्षद के स्थान के लिए निर्वाचन की दशा में मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १९६१ (क्रमांक ३७ सन् १९६१) के अधीन उस रूप में नियुक्त किसी पदाधिकारी से है;
- (ग) * * * * *

धारा—३ निर्वाचन के दिन तथा उसके एक दिन पूर्व सार्वजनिक सभाओं का प्रतिषेध.—

- (१) कोई भी व्यक्ति किसी निर्वाचन क्षेत्र में उस दिनांक या उन दिनांकों को जिसको या जिनको कि उस निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचन के लिये मतदान किया जाय, या उक्त दिनांक या दिनांकों के एक दिन पूर्व कोई सार्वजनिक सभा न बुलायेगा, न करेगा और न उसमें उपस्थित होगा.

- (२) कोई भी व्यक्ति जो उपधारा (१) के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, ऐसे जुर्माने से दण्डनीय होगा जो दो सौ पचास रुपये तक हो सकता है.

* * * * *

धारा—४ निर्वाचन सभाओं में विघ्न.—

- (१) कोई भी व्यक्ति जो किसी ऐसी सार्वजनिक सभा में, निर्वाचन से संबंधित उस कार्य के जिसके लिये वह सभा एकत्रित की गई हो संपादन को रोकने के प्रयोजन के विश्रृंखल रीति से कार्य करेगा या वैसा करने के लिये दूसरों को उद्दीप्त करेगा, ऐसे जुर्माने से दण्डनीय होगा जो दो सौ पचास रुपये तक हो सकता है.
- (२) लोप की गई.
- (३) यदि कोई पुलिस पदाधिकारी किसी व्यक्ति पर उपधारा (१) के अधीन अपराध करने का युक्तियुक्त रूप से संदेह करता हो, तो वह उस सभा के सभापति द्वारा वैसा करने के लिये उससे प्रार्थना की जाने पर, उस व्यक्ति से अपेक्षा कर सकेगा कि वह व्यक्ति अपना नाम और पता उसे तुरन्त बताये और यदि वह व्यक्ति अपना नाम और पता इस प्रकार बतलाने से इंकार करे अथवा न बतलावे या यदि पुलिस पदाधिकारी उस व्यक्ति पर गलत नाम या पता बतलाने का युक्तियुक्त रूप से संदेह करे, तो पुलिस पदाधिकारी उसे अधिपत्र के बिना गिरफ्तार कर सकेगा.

* * * * *

धारा—१० मतदान केन्द्र से मतपत्र हटाना अपराध होगा.—

- (१) कोई भी व्यक्ति जो किसी मतदान केन्द्र से कपटपूर्वक कोई मतपत्र ले जायेगा या ले जाने की चेष्टा करेगा या किसी ऐसे कार्य के किये जाने में जानबूझकर सहायता या अभिप्रेरण करेगा, कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक हो सकती है, या जुर्माने से, जो पांच सौ रुपये तक हो सकता है या दोनों से, दण्डनीय होगा.
- (२) यदि किसी मतदान केन्द्र के मतदान पदाधिकारी को यह विश्वास करने का कारण हो कि कोई व्यक्ति उपधारा (१) के अधीन दण्डनीय कोई अपराध कर रहा है या कर चुका है तो ऐसा पदाधिकारी मतदान केन्द्र से ऐसे व्यक्ति के चले जाने के पूर्व ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकेगा या ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए किसी पुलिस पदाधिकारी को निदेश दे सकेगा और ऐसे व्यक्ति की तलाशी ले सकेगा या किसी पुलिस पदाधिकारी द्वारा उसकी तलाशी करा सकेगा.

परन्तु जब किसी स्त्री की तलाशी कराना आवश्यक हो, तो उसकी तलाशी किसी अन्य स्त्री द्वारा शिष्टता का पूर्ण ध्यान रखते हुए ली जायेगी.

- (३) गिरफ्तार व्यक्ति की तलाशी लेने पर पाया गया कोई मतपत्र मतदान पदाधिकारी द्वारा पुलिस पदाधिकारी को सुरक्षित अभिरक्षा के लिए सौंप दिया जावेगा या जब तलाशी पुलिस पदाधिकारी द्वारा ली गई हो, तो वह ऐसे पदाधिकारी द्वारा सुरक्षित अभिरक्षा में रखा जायेगा.
- (४) उपधारा (१) के अधीन दण्डनीय अपराध प्रसंज्ञेय (कॉग्निजेबल) होगा.

* * * * *

भगवानदेव ईसरानी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.